

प्रायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

मु. नं. 80/15 फुर्द अहकाम तारीख 15-9-15

उपान - महाशजीसिंह वनाम मिश्री के

दावा बाबत तकारमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा  
प्यारा 53, 180.

आदी की ओर से श्री हंसराम गुजर Adv. ने दावा बाबत  
तकारमा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। शपथ  
पत्र व जमा बन्दी का अवलोकन किया गया। दावा  
शर्जिस्टर कर प्रतिवादी गणों को जरिये सम्मन से  
समन कर पेशा वली दिनांक 14-10-15 को पेश हो।

2446-52  
15-9-15

उप जिला कलक्टर  
टोडाभीम (करौली)

14/15

वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 की ओर  
से श्री रामभरोली गुप्ता Adv. ने वकालतनामा पेश किया  
प्रतिवादी नं. 6 की ओर से श्री रामभरोली गुप्ता Adv. ने  
श्रीमो पेश किया। प्रतिवादी नं. 4, 7 बाबत सूचना डाय.  
नहीं है उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है  
प्रतिवादी नं. 5 का सत्तक बादतकील प्राप्त नहीं है  
वास्ते जबाब वकालतनामा जति नं. 6 पेश करने व इतजार  
तामील जति नं. 5 दिनांक 26-10-15 को पेश हो।

15/15

वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अवकाश पर  
है। गतानुसार दिनांक 1-12-15 को पेश हो।

12/15

वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अवकाश पर  
है। गतानुसार दिनांक 5-1-16 को पेश हो।

5 उनवान - महाराज सिंह १९ मिस्त्री के  
न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क	फर्द अहकाम	
2	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं। कई बार आज्ञा दीलाई गई। फिर भी वादी वकील एवं वादी में से कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः यह दावा अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल छुमार होकर नम्बरेस काम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय की गति तहसीलदार को भिजवाई जावे</p> 	